# कर्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 451 FP/UK/ROAD/33094/2018 दिनॉकः देहरादून 17 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून ।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। **FP/UK/ROAD/33094/2018**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 08.11.2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक** 08.11.2019 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | Name of the user agengy is mentioned as PMGSY uttarkashi instead of Rural Development Department (Gramya Vikas Vhihag) In Para – A-2-(i) of Part–II. State Govt. may Submit/Upload the correct Information in Para– A–2(i) of Part–I. | बिन्दु संख्या–01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Rural Development Department (ग्राम्य विकास विभाग) के सड़क कार्यो का सम्पादन पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डों द्वारा किया जाता है। अतः प्रयोक्ता एजेन्सी के नाम पर ग्राम्य विकास विभाग के स्थान पर पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी लिखा गया है। |
| 2 | Complete Muck Disposal Plan proposed in reserve Forest and civil soyam land. State Govt. may avoid muck disposal in reserve forest area and choose some area nap land. | बिन्दु संख्या–02 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अववगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के प्रारम्भ बिन्दु के आस–पास 3.00 किमी0. के अन्तर्गत नाप भूमि स्थित नहीं है, जिस कारण प्रथम मलवा निस्तारण स्थल का चयन उपलब्ध सोयम भूमि में किया गया है इसके अतिरिक्त प्रारम्भ की 1475 मी0 आरक्षित वन भूमि उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत आती है जिसके समीप किसी प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं है, जो कि Online Upload की गयी इसकी KML File में भी प्रतीत हो रहा है। इसके उपरान्त प्रस्तावित मार्ग पर आ रही नाप भूमि पर ग्रामीणो द्वारा निस्तारण स्थल हेतु सहमति नहीं दी गयी है, जिस कारण प्रस्तावित मार्ग पर तीन डम्पिंग स्थल सिविल सोयम भूमि पर एवं दो आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल प्रस्ताव में सम्मिलित है। |
| 3 | It appears from KML File that the earth cutting along proposed alignment from Diwarikhol to Garath village has already been done. Further, it is seen that the road along alternate alignment from another existing road also appears constructed. Hence, the Proposal dosen't appear to be justified. State Govt. may submit the justification/ clarification in this regard. | बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत, कास्तकार एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार उक्त मोटर मार्ग को गड़थ गांव के अन्तर्गत स्थित मोल्ती तोक जिसमें 20 परिवार निवास करतें हैं, से जोड़ने की मांग की गयी है। उक्त तोक को के0एम0एल0 फाईल पर भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त वैकेल्पिक समरेखण में दिखने वाला मार्ग एक पैदल मार्ग है, जिसका निर्माण जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराया गया था। इस पगडन्डी पर ग्रेड अधिक होने एवं मोल्ती तोक से दूरी अधिक होने के कारण इस मार्ग को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ग्रामीणों का सहमति पत्र ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट–1 में एडिशनल कॉलम मे अपलोड किया गया है। |
| 4 | Employment detail seems incorrect at para-E in part-I. State Government may upload the correct information at Para- E in online Part-I. | बिन्दु संख्या–04 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा Online Part-I के para-E में Employment detail को संशोधित कर दिया गया है। |
| 5 | Correction made in SDLC and VLC proceedings needs to to be C/s by issuing authority. State Govt. may submit the SDLC and VLC proceedings with duly C/s by DFO. | बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा SDLC एवं VLC के प्रारूप में हुए संशोधन में समक्ष अधिकारियों से प्रतिस्ताक्षरित करवा दिया गया है एवं इसे ऑनलाईन पार्ट–II के Additional documents में अपलोड कर दिया गया है। |
| 6 | Document uploaded at para-L(iv) is found incorrect. State Government may upload the correct information at para-L(iv) in online Part-I. | बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा सही Document para-L(iv) Part-I में online Upload कर दिया गया है। |
| 7 | Shape of digital map and KML file of CA area are not matching. State Govt. may upload the correct KML file and digital map and also submitt the digital map in original. | Correction has been done in form A, part I. |
| 8 | CA scheme for Rs. 18,22,724/- has been uploaded in additional document in Part-I but the CA scheme for RS. 22,05,490/- found uploaded in additional document in Part-II. Further, two CA scheme for Rs. 22,05,490/- and Rs 20,04,995/- found uploaded in the hard copy. State Govt. may clarify the discrepancany and may submit/upload the correct information. | बिन्दु संख्या–08 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 18,22,724/– का प्राक्कलन ऑनलाईन पार्ट–1 में अपलोड किया गया है, जो कि वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित दरों के आधार पर तैयार किया गया है। एवं पार्ट–2 में रू0 22,05,490/– का प्राक्कलन अपलोड किया गया है, जो कि वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित दरों के आधार पर तैयार किया गया है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपणहेतु रू0 22,05,490/– की धनराशि का प्राक्कलन Online Part –I and Part-II के additional document में upload कर दिया गया है। |
| 9 | Area mentioned in the tree enumeration list is incorrect and date of counting of trees is also not mentioned in the tree enumeration list. State Govt. may clarify the discrepancy and may submit/upload the correct information. | बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के समरेखण में आ रहे वृक्षों की गणना दिनांक–18. 11.2015 को तथा डम्पिंग यार्ड में प्रभावित हो रहे वृक्षों की गणना दिनांक–04.01.2019 को की गयी है। पेड़ों की गणना सूची में संशोधित क्षेत्रफल व गणना की तारीख अंकित की गयी है, जो कि Online Part –I and Part–II के additional document में नचसवंक कर दिया गया है। |
| 10 | As per tree enumeration list 73 trees falls in 0-10 category but the details of these trees is not mentioned in para-4 online part-II. States Govt. Submit/upload the aforesaid information at Para-4 online Part-II. | बिन्दु संख्या–10 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट–II में 0–10 व्यास वर्ग के 73 वृक्षों को ऑनलाईन Para-4 में भर दिया गया है एवं इसके साथ ही डम्पिंग जोन में प्रभावित हो रहे अतिरिक्त 42 वृक्षों को भी ऑनलाईन भर दिया गया है एवं वृक्षों की नई संशेधित सूची पार्ट– I एवं पार्ट– II के Additional documents में अपलोड कर दिया गया है। |
| 11 | Area mentioned in land scheduel of reserve forest area is incorrect. State Govt. may submit the correct land scheduel duly C/s by the DFO. | बिन्दु संख्या–11 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा Online Part –I के वन विभाग के Reserve Forest land scheduel को सही करके प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करा दिया गया है। |
| 12 | Muck disposal plan is not C/s by DFO. State Govt. may submit the correct document. | बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा Muck disposal plan को प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करा दिया गया है। |
| 13 | Comments made by DFO at para-6 in part-II are incorret. State Govt. may submit/upload the correct comments by DFO at para-6 in part-II. | बिन्दु संख्या–13 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा Online Part-II. में उक्त आपत्ति का निराकरण किया जा चुका है। |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | This is to be stated that the DFO has upload an estimate for Rs.31,62,000/- which is mentioned as wildlife conservation plan. But this is an estimate and not the wild life conservation plan. The wild life conservation plan should have been prepared by an expert taking into account the present scenarioa in the area the scenarioa after the construction of road assessment of impact the road on the wild life of the area and the mitigative measures to minimize the impact on the wildlife and the cost of mitigative measures. Therfore it apperers that the so called wild life conservation plan has been prepared without application of mind. State Govt. may do the needful in this regard. | बिन्दु संख्या 14 के कम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना में वन्यजीव प्रबन्धन योजना का गठन वन क्षेत्राधिकारी धरासू वन राजि की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा क्षेत्र में किये गये स्थलीय निरीक्षण व सर्वेक्षण की वास्तविकता के आधार पर तैयार कर गठित किया गया है जिसका पुनः आंकलित मूल्य रू0 2499000.00 का नया संशोधित तैयार कर वन्य जीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय द्वारा अनुमोदन करवाकर पार्ट ।। के additional information में अपलोड कर दिया गया है। |
| 15 | DFO has not given the deatail of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area in Para-5.4 of the SIR. Further no comments have been given against Para-5.5 of SIR and the recommendation given is lacking in clarity. State Govt. may do the neeedful in this regard. | Site Inspection Report को Part –II के additional document में upload कर दिया गया है। |
| 16 | Aerial distance certificate is not found submiited in hard copy. State Govt. may submitt the aerial distance certificate in origanal copy. | बिन्दु संख्या–16 के अनुपालन में Aerial Distance Certificate, Hard Copy में संलग्न कर प्रेषित है। |
| 17 | DFO has raised 6 issues in his site inspection report uploaded at para 15 of part-II . But DFO should have taken measure to address the issues raised at his level and then forwarded the proposal to the higher authorities in complete manner. Further, none of the higher authorities of the forest depatment/state Govt have given comments on these issues. State govt. may do the needful in this regard. | प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी, द्वारा अपनी Site inspection report में दिये गये 06 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित की गई है,जो कि पार्ट– I एवं पार्ट– II के Additional documents अपलोड कर दिया गया है। |
| 18 | State govt. may remove the above the shortcomings and submit the hard copy of the abiove mentioned points. | बिन्दु संख्या–16 के अनुपालन उपरोक्त समस्त आपत्तियो का निराकरण कर Hard Copy में प्रेषित किया जा रहा है। |
| 19 | उपरोक्त के अतिरिक्त जो विकल्प प्रस्तावित किया गया है उस समरेखण पर मार्ग पूर्व से उपलब्ध प्रतीत होता है अतः उस समरेखण को मुख्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। साथ में यदि पूर्व में यह मार्ग Voilation मे निर्मित किया गया है तो उस की जानकारी इस कार्यालय मे प्रेषित करें। | बिन्दु संख्या–19 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक संरेखण को ग्राम पंचायत की आपत्ति के कारण, भू–वैज्ञानिक एवं तकनीकी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से एवं अतिव्ययता के कारण निरस्त किया गया है,जिसका पूर्ण विवरण प्रस्ताव में तुलनात्मक विवरण में सम्मिलित है, जो कि पार्ट–I के Additional documents में अपलोड कर दिया गया है यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में यह मार्ग Voilation मे निर्मित नहीं किया गया है। |

संलग्नक–यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/3/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी